न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 34/2019

1. अनूप सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी मालूपाडा, तहसील नादौती जिला करौली राज0।

अपीलांट

बनाम

2. भंवर बाई पत्नि गिरधर सिंह, जाति राजपूत निवासी मालूपाडा, तहसील नादौती, जिला करौली राज0।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती मु0न0 67/2018 निर्णय दिनांक 26.07.2019)

उपस्थित अभिभषाक
1. अपीलांट की ओर से श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी
2. रेस्पो0 की ओर से श्री शिव कुमार शर्मा

दिनांक 23.03.2021

निर्णय

23.3.21
अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 67/2018 निर्णय दिनांक 26.07.2019 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया/रेस्पो0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख. नं. 546 रकबा 0.91 है0, ख.न. 547 रकबा 0.87 है0, ख.नं. 548 रकबा 1.20 है0, ख.नं. 549 रकबा 1.17 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.15 है0 स्थित ग्राम मालुपाडा तहसील नादौती है। जिसका [illegible]/अपी0 या किसी अन्य व्यक्ति से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त भूमि में [illegible]/रेस्पो0 द्वारा फसल बोई गई है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थिया/रेस्पो0 द्वारा पेश प्रतिदावा अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित है तथा उक्त प्रतिदावा में प्रार्थिया/रेस्पो0 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा संख्या 56/17 में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2018 को अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि का प्रार्थिया/रेस्पो0 को काबिज खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

काश्तकार मानते हुए वाद निस्तारण तक उसके शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में न तो स्वयं द्वारा और न ही किसी अन्य द्वारा बाधा उत्पन्न करने हेतु पाबंद किए जाने के बावजूद भी अप्रार्थी/अपी0 निरंतर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया/रेस्पो0 द्वारा बोई फसल को बलपूर्वक काटने की निरंतर एलानिया धमकी देता रहता है तथा यदा कदा फसल को नुकसान पहुचाने की कुचेष्टा करता रहता है, जिसका प्रार्थिया/रेस्पो0 एवं उसके परिजनों द्वारा प्रतिकार किया जाता रहा है तथा अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराये है। अप्रार्थी/अपी0 एवं उसके गिरोह बंद परिजनो की उक्त अवैध हरकतों को देखते हुये प्रार्थिया/रेस्पो0 को आंशका है कि अप्रार्थी/अपी0 अपने गिरोह बंद लोगो के साथ प्रार्थिया/रेस्पो0 की फसल काट कर ले जायेगे। प्रस्तुत न्यायालय द्वारा विविध प्र.स. 56/17 में पारित निर्णय के न्यायिक आदेश को विफल करने एवं प्रार्थिया/रेस्पो0 को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी खडी फसल को काटकर ले जाने या नष्ट करने में पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है। फलतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया/रेस्पो0 के पक्ष में निहित है। प्रस्तुत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2018 की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने एवं वृद्धा प्रार्थिया/रेस्पो0 के विधिक हितो एवं न्यायिक उद्देश्यों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु फसल की समय पर कटाई एवं भविष्य में वादग्रस्त भूमि में काश्त की सुरक्षित व्यवस्था करने हेतु एक प्रापक (रिसिवर) की नियुक्ति किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिससे विधि सर्वोच्चता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार की इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी। प्रार्थिया/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व विधि के स्थापित सिद्धान्तों पर भी गौर नहीं किया। सेटल्ड कब्जाधारी को गैरकानूनी तरीके से रिसीवर की नियुक्ति कर बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि दावा दायरी के दिन रेस्पो0 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं था, ऐसी सूरत में दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मेन्टेबल नहीं है, ऐसी सूरत में रेस्पो0 को अपी0 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बेदखली हेतु वाद पेश करना चाहिए था, कब्जे के अभाव में रेस्पो0 का दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

टीनेन्सी एक्ट मेन्टेबल नहीं था। इसलिए अदालत मातहत ने रिसीवर नियुक्त करने में भारी कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की गई थी, जो कतई गैरकानूनी आदेश था। उक्त आराजी पर रेस्पो० का कोई कब्जा नहीं था। उक्त आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.03.2018 क्षेत्राधिकार के बाहर था। कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा व काउन्टर दावा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र रिसीवर भी चलने योग्य नहीं है इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विवाद परिवार के सदस्यों के मध्य है, पैतृक भूमि के विभाजन का विषय है, अपीलान्ट समस्त आराजीयत को पैतृक बताता है, जबकी रेसपोडेन्ट उक्त आराजीयत को स्वअर्जित बताते है, लेकिन स्वअर्जित किस प्रकार से है, किस दस्तावेज से अर्जित की गई है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख अपने प्रकरण में नहीं करते हैं। इस बिन्दू पर खातेदारी होने के वक्त रेस्पोडेन्ट के पति गिरधर सिंह की आयु पर गौर किया जावे तो वह उस वक्त नाबालिग थे, तथा अपने बलबूते पर कोई भी सम्पत्ति अर्जित करने में पूर्णतः असमर्थ थे। 1000 बीघा जमीन स्वअर्जित करना सम्भव नहीं है, परन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं कर अदालत मातहत ने भारी कानूनी भूल की है, केवल वर्तमान रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रकरण की तह में जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया हैं। वर्तमान रिकार्ड की आड में ही रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को उसके वैधानिक हिस्से से महरूम करना चाहते हैं। सम्वत 2009 से पूर्व का रिकार्ड सरकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है, उसका कारण यह है कि उक्त रिकार्ड गुढाचन्द्रजी जागीरदार के पास था जो फौत हो चुके हैं उनकी केवल बेटियां हैं, जो रिकार्ड की नकल नहीं देती हैं न ही उन्होंने रिकार्ड सरकार के पास जमा कराया है, इस कारण रिकार्ड के अभाव में अपीलान्ट वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति सावित करने में असफल है। रिसीवर का आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट ने पेश किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कोई कब्जा नहीं है, वरन् कब्जा मिन अपीलान्ट का है, कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र रिसीवर चलने योग्य नहीं है। अदालत मातहत ने अपने रिसीवर के निर्णय में केस सिक्योरिटी बावत् कोई आदेश पारित नहीं किया हैं। इसीलिए उक्त आदेश अधूरा व गैरकानूनी होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावे। न्यायिक दृष्टांत 1986 आर.आर.डी. 1, 1983 आर.आर.डी. 736 प्रस्तुत की गयी।

23.3.21
अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:15 IST
Reason: SelfAttested

4. रेस्पो० के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब ... तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि रेस्पो० की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख. नं. 54[illegible] रकबा 0.91 है0, ख.न. 547 रकबा 0.87 है0, ख.नं. 548 रकबा 1.20 है0, ख.नं. 549 रकबा 1.17 है0, कुल किता 4

Scanned with CamScanner

कुल रकबा 4.15 है0 स्थित ग्राम मालुपाडा तहसील नादौती है। जिसका अपी0 या किसी अन्य व्यक्ति से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त भूमि में रेस्पो0 द्वारा फसल बोई गई है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पो0 द्वारा पेश प्रतिदावा अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित है तथा उक्त प्रतिदावा में रेस्पो0 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 56/17 में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2018 अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि का रेस्पो0 को काबिज खातेदार काश्तकार मानते हुए वाद निस्तारण तक उसके शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में न तो स्वयं द्वारा और न ही किसी अन्य द्वारा बाधा उत्पन्न करने हेतु पाबंद किए जाने के बावजूद भी अपीलांट निरंतर वादग्रस्त भूमि में रेस्पो0 द्वारा बोई फसल को बलपूर्वक काटने की निरंतर एलानिया धमकी देता रहता है तथा यदा कदा फसल को नुकसान पहुचाने की कुचेष्टा करता रहता है, जिसका रेस्पो0 एवं उसके परिजनों द्वारा प्रतिकार किया जाता रहा है तथा अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराये है। अपीलांट एवं उसके गिरोह बंद परिजनो की उक्त अवैध हरकतों को देखते हुये रेस्पो0 को आंशका है कि अपीलांट अपने गिरोह बंद लोगो के साथ रेस्पो0 की फसल काट कर ले जायेगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विविध प्र.स. 56/17 में पारित निर्णय के न्यायिक आदेश को विफल करने एवं रेस्पो0 को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी खडी फसल को काटकर ले जाने या नष्ट करने में पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है। फलतः सुविधा का संतुलन भी रेस्पो0 के पक्ष में निहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2018 की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने एवं वृद्धा रेस्पो0 के विधिक हितो के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु फसल की समय पर कटाई एवं भविष्य में वादग्रस्त भूमि में काश्त की सुरक्षित व्यवस्था करने हेतु एक प्रापक (रिसिवर) की नियुक्ति किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। न्यायिक दृष्टांत 1993 आर.आर.डी. 277, 1993 आर.आर.डी. 498 व 2014(1) आर.आर.टी. 692 प्रस्तुत की गयी।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6. प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट ... सम्वत् 2073 ला0 2076 वाके ग्राम मालूपाडा, तहसील नादौती के खतौनी ... 94 ... ख.नं. 350, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 कुल ... गिरधर सिं... राजपूत सा.देह अंकित है। ... आराजी से सम्बन्धित, अधिनस्थ ... 23.03.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। विवादित आराजी पैतृक है, इस सम्बंध मे पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी में स्थगन आदेश के बावजूद अपीलांट द्वारा व्यवधान किया जा रहा है। इस हेतु विवादित भूमि का कानूनन संरक्षण किया है। पारित आदेश दिनांक 26.07.2019 में कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के प्रकरण संख्या 67/2018 निर्णय दिनांक 26.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.3.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner